

२५

पत्रावली आज पेश हुई
पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारें है
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक.....
३५...७...२५ को पेश की जावे

१-७-२५

पत्रावली आज पेश हुई
पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारें है
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक.....
१...५...२५ को पेश की जावे

१-९-२५

पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा ~~बंद~~
स्थगन किया गया है । अब पत्रावली
पुर्वानुसार दिनांक...२३-९-२५ को
पेश की जावे

२३-९-२५

पत्रावली पेश हुई वकीलवादी उपस्थित प्रकरण
में तहसीलदार बंगू से पूर्व में फर्द बटवारा रिपोर्ट
प्राप्त हुई, प्राप्त रिपोर्ट पर वकीलवादी की बहस
सुनी गई, प्रकरण में प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट
स्वीकार किया जाता है। दावा अज्ञेय डिक्ली किया
जाता है। विस्तृत आदेश मूधक से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फौसल
शुमार होकर नम्बर से काम हो ~~ग~~

यालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

वा संख्या :- 80/2022

भंवरलाल पिता लखमा जी धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
वादी

बनाम

1. केशुराम पिता प्यारचन्द्र धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
2. चुन्नीलाल पिता उँकार धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
3. पुष्पावाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
4. रविकुमार पिता मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
5. रामूवाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
6. रामेश्वर पिता डूगा धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
7. लीलावाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
8. शान्तिवाई पत्नि स्व. मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
9. उँकार पिता परमानन्द धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
10. उदयलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
11. प्यारचन्द्र पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
12. मेहनलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
13. पेमा पिता गोपी धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
14. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा. बेगू
15. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ़
प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 23.09.2025

अंतिम निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वाद पत्र इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त
की कृषि आराजीयात ग्राम माधोपुर प.ह. दौलतपुरा तह. बेगू में स्थित जिसकी तफसील निम्न प्रकार
से है :-

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
67	159	0.0200
	कीता-1	0.0200 हैक्टर
03	143मी.	0.0200 हैक्टर
	कीता-1	0.0200 हैक्टर
68	190	0.1400
	191	0.2900
	196	0.1900
	229	1.3700
	423	0.2100
	63	0.0700
	74	0.0300
	75	0.5900
	76	0.0600
	कीता-9	2.9500 हैक्टर

AF

यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 तक की त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी है जिसमें वादी का हिस्सा 1/12 निहित है। वर्णित 1 आराजी संयुक्त कब्जे काश्त की होने से आए दिन सीमा विवाद होता है जिससे वादी अपने निहित हक हिस्से का विभाजन करवाना चाहते हैं, वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चल कर आपसी सहमति से विभाजन कराने हेतु दिनांक 15.02.2022 को कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादी न्यायालय से निम्न अनुतोष प्राप्त करने की वैद्य अधिकारिणी है कि :-

क- कि वाद पत्र की चरण सं. 1 में अभित खाता संख्या 3 व 67 व 68 की आराजीयात में से वादी का 1/12 हक हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स (अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी) के आधार पर विभाजन किया जाकर रेवेन्यु रिकार्ड में भी अलग अलग दर्ज किये जाने की आज्ञापति प्रदान कराई जावें।

ख- कि वकील मेहनताना व खर्चा मुकदमा भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

ग- कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादी हो वह प्रदान कराया जावे।

दावा न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश दिये गये तथा प्रकरण में वादी के एक तरफा साक्ष्य ली जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2025 को दावा निम्न प्रकार से प्राथमिक डिकी किया जाने का आदेश दिया जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया गया :- (विस्तृत निर्णय प्राथमिक डिकी में लिखा गया है।)

" अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजकाश्त अध 0 का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में अंकित मौजा ग्राम माधोपुर प 0 ह 0 दौलतपुरा तह. बेगू की खाता संख्या 67, 03, 68 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/12 हक हिस्सा एवं शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगू को 1500/-रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर डिकी की प्रति तहसीलदार बेगू को को पालनार्थ दी जाकर निदेशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के माध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हे तु मूल नक्शाट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवावें।"

उपरोक्त प्राथमिक डिकी आदेश की नकल वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को भिजवाई जाने पर तहसीलदार बेगू को उनके पत्र क्रमांक /राजस्व(कोर्ट)/2025/688 दिनांक 11.08.2025 के साथ विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय को भिजवाया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई जिन्होंने प्राथमिक डिकी विभाजन प्रस्ताव को सही होना बताते हुए वाद पत्र विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन न्यायालय के समक्ष किया है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबकि विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा माधोपुर प 0 ह 0 दौलतपुरा की कृषि आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- भँवरलाल पुत्र लखना धाकड सा 0 देह खातेदार (खाता सं 0 3, 68)

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
143 मे से	0.0166	चाही-1	0.56
74 मे से	0.0220	चाही-1	0.06
75 मे से	0.1890	बीड	5.78
		चाही-1	
76 मे से	0.0350	बीड	0.08
4	0.2660	हैक्टर	6.48

2- खाता संख्या 3 की आराजी संख्या 143 रकबा 0.20 हैक्टर मे प्रतिवादीगण खातेदार :-

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
143 मे से	0.1834	जाही-1	6-24

cap

- र पुत्र परमानन्द हिस्सा 502/917 रहन हिस्सा भूमि विकास बैंक शाखा बेगूं
 इयलाल पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
 सुराम पुत्र प्यारचन्द्र हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
 प्यारचन्द्र पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
 - मोहनलाल पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा. देह
 ०- रामेश्वर पुत्र डूंगा हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा. देह

3-खाता संख्या 68की आराजी प्रतिवादीगण खातेदार :-

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
74 मे से	0.0080	बीड	0.02
75 मे से	0.0100	चाही-1	0.32
75 मे से	0.3910	जाव-1	1.02
		0.0600 चाही-1	
		0.3310	11.92
76 मे से	0.0250	बीड	0.07
63 सम्पूर्ण	0.0700	बीड	0.18
190सम्पूर्ण	0.1400	बरानी3	0.61
191सम्पूर्ण	0.2900	बीड	0.73
196सम्पूर्ण	0.1900	जाही1	6.46
229सम्पूर्ण	1.3700	बीड	3.43
423सम्पूर्ण	0.2100	बरानी	1.82
कीता-10	2.7040 हैक्टर		26.58

उपरोक्त कृषि आराजी में प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से हिस्सेदार है :-

- 1- कंचन पत्नि शांतिलाल हिस्सा 319/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 2- केशुराम पुत्र प्यारचन्द्र हिस्सा 123/1352 धाकड सा.देह खातेदार
- 3- चन्दाबाई पत्नि मदनलाल हिस्सा 9/104 धाकड सा. देह खातेदार
- 4- पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/27.04 धाकड सा.देह खातेदार
- 5- भागुतीबाई पत्नि नन्दलाल हिस्सा 23/338धाकड सा.देह खातेदार
- 6- रविकुमार पुत्र मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 7- रामुबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 8- रामेश्वर पुत्र डूंगा हिस्सा 123/1352 धाकड सा.देह खातेदार
- 9- लीलाबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 10- शांतिबाई पत्नि स्व0 मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार

खाता संख्या 67 आराजी संख्या 159 रकबा 0.020 हैक्टर में वादी हिस्सा 1/12 का विभाजन नहीं करवाना चाहते हैं।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व खाते में वादी एवं प्रतिवादीगण की विभाजित हुई भूमि को पृथक पृथक अंकन किया जावे।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
 सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

यालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
संख्या :- 80/2022

भंवरलाल पिता लखमा जी धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
वादी

बनाम

1. केशुराम पिता प्यारचन्द्र धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
2. चुन्नीलाल पिता उँकार धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
3. पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
4. रविकुमार पिता मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
5. रामूबाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
6. रामेश्वर पिता डूगा धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
7. लीलाबाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
8. शान्तिबाई पत्नि स्व. मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
9. उँकार पिता परमानन्द धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
10. उदयलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
11. प्यारचन्द्र पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
12. मेहनलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
13. पेमा पिता गोपी धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
14. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा. बेगू
15. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ़
प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिति एवं में तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 23.09.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :-

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा की कृषि आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- भंवरलाल पुत्र लखमा धाकड सा0देह खातेदार (खाता सं0 3, 68)

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
143 मे से	0.0166	चाही-1	0.56
74 मे से	0.0220	चाही-1	0.06
75 मे से	0.1890	बीड	5.78
		चाही-1	
76 मे से	0.0350	बीड	0.08
4	0.2660	हैक्टर	6.48

2- खाता संख्या 3 की आराजी संख्या 143 रकबा 0.20 हैक्टर मे प्रतिवादीगण खातेदार :-

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
143 मे से	0.1834	जाही-1	6-24

- 1- उँकार पुत्र परमानन्द हिस्सा 502/917 रहन हिस्सा भूमि विकास बैंक शाखा बेगू
- 2- उदयलाल पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
- 3- केशुराम पुत्र प्यारचन्द्र हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
- 4- प्यारचन्द्र पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
- 5- मोहनलाल पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा. देह
- 6- रामेश्वर पुत्र डूगा हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा. देह



ख्या 68की आराजी प्रतिवादीगण खातेदार :-

जी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
मे से	0.0080	बीड	0.02
5 मे से	0.0100	चाही-1	0.32
75 मे से	0.3910	जाव-1	1.02
		0.0600	
		चाही-1	
		0.3310	11.92
76 मे से	0.0250	बीड	0.07
63 सम्पूर्ण	0.0700	बीड	0.18
190सम्पूर्ण	0.1400	बरानी3	0.61
191सम्पूर्ण	0.2900	बीड	0.73
196सम्पूर्ण	0.1900	जाही1	6.46
229सम्पूर्ण	1.3700	बीड	3.43
423सम्पूर्ण	0.2100	बरानी	1.82
कीता-10	2.7040 हैक्टर		26.58

उपरोक्त कृषि आराजी में प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से हिस्सेदार है :-

- 1- कंचन पत्नि शांतिलाल हिस्सा 319/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 2- केशुराम पुत्र प्यारचन्द्र हिस्सा 123/1352 धाकड सा.देह खातेदार
- 3- चन्दाबाई पत्नि मदनलाल हिस्सा 9/104 धाकड सा. देह खातेदार
- 4- पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/27.04 धाकड सा.देह खातेदार
- 5- भागुतीबाई पत्नि नन्दलाल हिस्सा 23/338धाकड सा.देह खातेदार
- 6- रविकुमार पुत्र मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 7- रामुबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 8- रामेश्वर पुत्र जूंगा हिस्सा 123/1352 धाकड सा.देह खातेदार
- 9- लीलाबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 10- शांतिबाई पत्नि स्व0 मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार

खाता संख्या 67 आराजी संख्या 159 रकबा 0.020 हैक्टर में वादी हिस्सा 1/12 का विभाजन नहीं करवाना चाहते है।

अतःउपरोक्तानुसार राजस्व खाते में वादी एवं प्रतिवादीगण की विभाजित हुई भूमि को पृथक पृथक अंकन किया जावे।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित/सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ 651

दिनांक :- 29-9-25

दावा संख्या 80/2022 व भंवरलाल बनाम केशुराम वगै वाद अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0 में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या :- 80/2022

भंवरलाल पिता लखमा जी धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
वादी

बनाम

1. केशुराम पिता प्यारचन्द्र धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
2. चुन्नीलाल पिता उँकार धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
3. पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
4. रविकुमार पिता मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
5. रामूबाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
6. रामेश्वर पिता डूगा धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
7. लीलाबाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
8. शान्तिबाई पत्नि स्व. मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
9. उँकार पिता परमानन्द धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
10. उदयलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
11. प्यारचन्द्र पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
12. मेहनलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
13. पेमा पिता गोपी धाकड निवासी माधोपुर तह० बेगू
14. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा. बेगू
15. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ़
प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 23.09.2025

अंतिम निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादी का वाद पत्र इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त
की कृषि आराजीयात ग्राम माधोपुर प.ह. दौलतपुरा तह. बेगू में स्थित जिसकी तफसील निम्न प्रकार
से है :-

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
67	159	0.0200
	कीता-1	0.0200 हैक्टर
03	143मी.	0.0200 हैक्टर
	कीता-1	0.0200 हैक्टर
68	190	0.1400
	191	0.2900
	196	0.1900
	229	1.3700
	423	0.2100
	63	0.0700
	74	0.0300
	75	0.5900
	76	0.0600
	कीता-9	2.9500 हैक्टर

→

यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी है जिसमें वादी का हिस्सा 1/12निहित है। वर्णित कृषि आराजी संयुक्त कब्जे काश्त की होने से आए दिन सीमा विवाद होता है जिससे वादी अपने निहित हक हिस्से का विभाजन करवाना चाहते है, वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चल कर आपसी सहमति से विभाजन कराने हेतु दिनांक 15.02.2022 को कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादी न्यायालय से निम्न अनुतोष प्राप्त करने की वैद्य अधिकारिणी है कि :-

क- कि वाद पत्र की चरण सं. 1 में अंमित खाता संख्या 3 व 67 व 68 की आराजीयात मे से वादी का 1/12 हक हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स (अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी) के आधार पर विभाजन किया जाकर रेवेन्यु रिकार्ड में भी अलग अलग दर्ज किये जाने की आज्ञापति प्रदान कराई जावें।

ख- कि वकील मेहनताना व खर्चा मुकद्मा भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

ग- कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादी हो वह प्रदान कराया जावे।

दावा न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं0. 1से 13 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश दिये गये तथा प्रकरण में वादी के एक तरफा साक्ष्य ली जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2025 को दावा निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया जाने का आदेश दिया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया गया :- (विस्तृत निर्णय प्राथमिक डिक्री में लिखा गया है।)

" अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अध0 का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में अंकित मौजा ग्राम माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा तह. बेगू की खाता संख्या 67, 03, 68 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/12 हक हिस्सा एवं शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगू को 1500/-रुपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को को पालनार्थ दी जाकर निदेशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के माध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हे तु मूल नक्शाट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवावें।"

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की नकल वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को भिजवाई जाने पर तहसीलदार बेगू को उनके पत्र क्रमांक /राजस्व(कोर्ट)/2025/688 दिनांक 11.08.2025 के साथ विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय को भिजवाया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई जिन्होंने प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव को सही होना बताते हुए वाद पत्र विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन न्यायालय के समक्ष किया है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबकि विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा की कृषि आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- भैवरलाल पुत्र लखमा धाकड सा0देह खातेदार (खाता सं0 3, 68)

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
143 मे से	0.0166	चाही-1	0.56
74 मे से	0.0220	चाही-1	0.06
75 मे से	0.1890	बीड	5.78
		चाही-1	
76 मे से	0.0350	बीड	0.08
4	0.2660	हैक्टर	6.48

2- खाता संख्या 3 की आराजी संख्या 143 रकबा 0.20 हैक्टर मे प्रतिवादीगण खातेदार :-

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
143 मे से	0.1834	जाही-1	6-24



- उंकार पुत्र परमानन्द हिस्सा 502/917 रहन हिस्सा भूमि विकास बैंक शाखा बेगू
 उदयलाल पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
 -केसुराम पुत्र प्यारचन्द्र हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
 4- प्यारचन्द्र पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
 5- मोहनलाल पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा. देह
 6- रामेश्वर पुत्र डूंगा हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा. देह

3-खाता संख्या 68की आराजी प्रतिवादीगण खातेदार :-

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
74 मे से	0.0080	बीड	0.02
75 मे से	0.0100	चाही-1	0.32
75 मे से	0.3910	जाव-1	1.02
		0.0600	
		चाही-1	
		0.3310	11.92
76 मे से	0.0250	बीड	0.07
63 सम्पूर्ण	0.0700	बीड	0.18
190सम्पूर्ण	0.1400	बरानी3	0.61
191सम्पूर्ण	0.2900	बीड	0.73
196सम्पूर्ण	0.1900	जाही1	6.46
229सम्पूर्ण	1.3700	बीड	3.43
423सम्पूर्ण	0.2100	बरानी	1.82
कीता-10	2.7040 हैक्टर		26.58

उपरोक्त कृषि आराजी में प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से हिस्सेदार है :-

- 1- कंचन पत्नि शांतिलाल हिस्सा 319/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 2- केशुराम पुत्र प्यारचन्द्र हिस्सा 123/1352 धाकड सा.देह खातेदार
- 3- चन्दाबाई पत्नि मदनलाल हिस्सा 9/104 धाकड सा. देह खातेदार
- 4- पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/27.04 धाकड सा.देह खातेदार
- 5- भागुतीबाई पत्नि नन्दलाल हिस्सा 23/338धाकड सा.देह खातेदार
- 6- रविकुमार पुत्र मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 7- रामुबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 8- रामेश्वर पुत्र डूंगा हिस्सा 123/1352 धाकड सा.देह खातेदार
- 9- लीलाबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 10- शांतिबाई पत्नि स्व0 मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार

खाता संख्या 67 आराजी संख्या 159 रकबा 0.020 हैक्टर में वादी हिस्सा 1/12 का विभाजन नहीं करवाना चाहते हैं।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व खाते में वादी एवं प्रतिवादीगण की विभाजित हुई भूमि को पृथक पृथक अंकन किया जावे।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
 सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)बेगू

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
वा संख्या :- 80 / 2022

भंवरलाल पिता लखमा जी धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
वादी

बनाम

1. केशुराम पिता प्यारचन्द्र धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
2. चुन्नीलाल पिता उँकार धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
3. पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
4. रविकुमार पिता मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
5. रामूबाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
6. रामेश्वर पिता डूगा धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
7. लीलाबाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
8. शान्तिबाई पत्नि स्व. मांगीलाल धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
9. उँकार पिता परमानन्द धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
10. उदयलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
11. प्यारचन्द्र पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
12. मेहनलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
13. पेमा पिता गोपी धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगू
14. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा. बेगू
15. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ़
प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिति एवं में तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 23.09.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :-

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबकि विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा की कृषि आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- भंवरलाल पुत्र लखमा धाकड सा0देह खातेदार (खाता सं0 3, 68)

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
143 मे से	0.0166	चाही-1	0.56
74 मे से	0.0220	चाही-1	0.06
75 मे से	0.1890	बीड	5.78
		चाही-1	
76 मे से	0.0350	बीड	0.08
4	0.2660 हैक्टर		6.48

2- खाता संख्या 3 की आराजी संख्या 143 रकबा 0.20 हैक्टर मे प्रतिवादीगण खातेदार :-

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
143 मे से	0.1834	जाही-1	6-24

- 1- उँकार पुत्र परमानन्द हिस्सा 502/917 रहन हिस्सा भूमि विकास बैंक शाखा बेगू
- 2- उदयलाल पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
- 3- केशुराम पुत्र प्यारचन्द्र हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
- 4- प्यारचन्द्र पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा.देह
- 5- मोहनलाल पुत्र तुलसीराम हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा. देह
- 6- रामेश्वर पुत्र डूगा हिस्सा 83/917 धाकड खातेदार सा. देह

II संख्या 68की आराजी प्रतिवादीगण खातेदार :-

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
74 मे से	0.0080	बीड	0.02
75 मे से	0.0100	चाही-1	0.32
75 मे से	0.3910	जाव-1	1.02
		0.0600	
		चाही-1	
		0.3310	11.92
76 मे से	0.0250	बीड	0.07
63 सम्पूर्ण	0.0700	बीड	0.18
190सम्पूर्ण	0.1400	बरानी3	0.61
191सम्पूर्ण	0.2900	बीड	0.73
196सम्पूर्ण	0.1900	जाही1	6.46
229सम्पूर्ण	1.3700	बीड	3.43
423सम्पूर्ण	0.2100	बरानी	1.82
कीता-10	2.7040	हैक्टर	26.58

उपरोक्त कृषि आराजी में प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से हिस्सेदार है :-

- 1- कंचन पत्नि शांतिलाल हिस्सा 319/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 2- केशुराम पुत्र प्यारचन्द्र हिस्सा 123/1352 धाकड सा.देह खातेदार
- 3- चन्दाबाई पत्नि मदनलाल हिस्सा 9/104 धाकड सा. देह खातेदार
- 4- पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/27.04 धाकड सा.देह खातेदार
- 5- भागुतीबाई पत्नि नन्दलाल हिस्सा 23/338धाकड सा.देह खातेदार
- 6- रविकुमार पुत्र मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 7- रामुबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 8- रामेश्वर पुत्र डूंगा हिस्सा 123/1352 धाकड सा.देह खातेदार
- 9- लीलाबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार
- 10- शांतिबाई पत्नि स्व0 मांगीलाल हिस्सा 295/2704 धाकड सा.देह खातेदार

खाता संख्या 67 आराजी संख्या 159 रकबा 0.020 हैक्टर में वादी हिस्सा 1/12 का विभाजन नहीं करवाना चाहते हैं।

अतःउपरोक्तानुसार राजस्व खाते में वादी एवं प्रतिवादीगण की विभाजित हुई भूमि को पृथक पृथक अंकन किया जावे।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

क्रमांक/सरिस्ता/2025/ 675

दिनांक :- 29-9-2025

दावा संख्या 80/2022 व भंवरलाल बनाम केशुराम वगै वाद अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0 में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

(सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू